राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4364/2025

शंभू दयाल ओड **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), चित्तौड़गढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय), चित्तौड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2025
आदेश की दिनांक : 06.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेरी (Dari) ब्लॉक बेंगू जिला चित्तौड़गढ से सेवानिवृत्त हो चुका हैं। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक–1) को प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन और न्याय की मांग के लिए विधिक नोटिस भी प्रस्तुत किया है और अनुरोध किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवा अवधि की गणना करने के बाद चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए, अर्थात, 9, 18 और 27 वर्षों को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए और चयन वेतनमान तदनुसार प्रदान किया जावे, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अपीलार्थी के विधिक नोटिस पर कोई विचार नहीं किया है। अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 24.01.1978 को हुई थी, तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने 13.03.1985 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पुष्टीकरण आदेश जारी कर अपीलार्थी की सेवा दिनांक

09.07.1979 से स्थायी कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वर्ष 1992 में प्रथम ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति 24.01.1978 को हुई थी एवं प्रथम ए.सी.पी. वर्ष 1987 में देय थी। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रथम एसीपी की गणना वर्ष 1981 से रहे हैं। जिसमें अपीलार्थी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वर्ष 2000 में द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया। जबकि द्वितीय ए.सी.पी. वर्ष 1996 को देय थी एवं अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ वर्ष 2009 में प्रदान किया, जबकि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा वर्ष 2005 में पूरी हो जाती है। अन्य समान स्थिति वाले कार्मिकों अर्थात् गोपाल लाल ओझा और राधेश्याम शर्मा, को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि अर्थात् 01.07.1980 और 10.11.1980 से गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था। आवेदकों को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। चयनित वेतनमान का लाभ वास्तविक नियुक्ति तिथि से न देने का प्रत्यर्थी विभाग का कार्य अवैध एवं मनमाना है। प्रत्यर्थी ने आदेश पारित कर आवेदकों को स्थायी कर दिया था, और उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से स्थायी किया गया था। आवेदक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से चयनित वेतनमान के लाभ के लिए हकदार हो गए हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ऐसा करने में विफल रहा है, जैसा कि आदेशों से स्पष्ट है कि आवेदकों को उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक प्रत्यर्थी विभाग की उक्त कार्रवाई से गंभीर रूप से व्यथित हैं। राज्य सरकार ने चयनित वेतनमान के लाभ के लिए न केवल वर्ष 1992 में, बल्कि वर्ष 1998 में भी एक परिपत्र जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पालना नहीं की गई। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से चयन वेतनमान के लाभ के लिए पात्र हो गए हैं, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2001 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए पात्र नहीं माना। अपीलार्थी को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12387/2012 गोपाल लाल ओझा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2013 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि 9, 18 और 27 वर्ष की गणना करने के पश्चात् चयनित वेतनमान का

लाभ प्रदान करें एवं अपीलार्थी द्वारा सेवा में शामिल होने की तिथि से वास्तविक लाभ का भुगतान देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया जावे तथा अपीलार्थी दिये गये विधिक नोटिस पर प्रत्यर्थी विभाग को विचार करने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य